प्रतिलिपि आदेश दिनांक 17-6-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 46-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 21-10-13 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्र0क्र0 232/अपील/अ-6/11-12.

कल्लोबाई पत्नि भरतसिंह

निवासी बोबई तहसील पथरिया

जिला दमोह म0प्र0 --- आवेदिका

विरुद्ध

1- नन्हीबाई पुत्री सुखई बेटी साग पति सुम्मानसिंह

निवासी याबूकोडी तहसील पथरिया जिला दमोह

म0प्र0 अन्य-2 -- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 45 / III / 2014 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर

17.6.2014

अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 232/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 21–10–13 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदिका के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये, उन्होंने बताया कि भूमिस्वामी फूलरानी की मृत्यु के उपरांत आवेदिका कल्लोवाई का मौजा बोवई की भूमि खसरा नंबर 219 रकबा 3.23 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर नामान्तरण हुआ है एंव नामान्तरण विधिवत् होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने भी तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखा है किन्तु दोनों न्यायालयों के निष्कर्षों के विपरीत अर्थ निकाल कर अपर आयुक्त सागर संभाग ने दिनांक 21–10–13 को त्रृटिपूर्ण आदेश पारित किया है एंव आवेदिका के हुये नामान्तरण के स्थान पर भूमि को पूर्व की स्थिति में पहुंचाने की गलती की है इसलिये निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाया जावे।

3/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 232/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 21–10–13 के अवलोकन पर पाया गया कि मूल भूमिस्वामिनी फूलरानी की मृत्यु वर्ष 2004 में हुई है जिसके 6 वर्ष उपरांत इकरानामे के आधार पर आवेदिका का नामान्तरण किया गया है, जबकि मृतक फूलरानी के चार पुत्रियॉं है पुत्र नहीं है। एकपक्षीय किये गये

नामान्तरण आदेश के विरूद्व जब अनावेदिकाओं ने अनुविभागीय अधिकारी दमोह के समक्ष अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन सहित प्रथम अपील प्रस्तुत की, अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा–5 के तथ्यों पर विचार न करते हुये अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन को निरस्त करते हुये अपील निरस्त कर दी। तहसीलदार व्दारा वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण करने के पूर्व न तो मृतक भूमिस्वामिनी की अन्य तीन पुत्रियों को व्यक्तिगत सूचना जारी की है और न ही उनसे सहमति/असहमति प्राप्त की है, अनितु अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर आवेदिका का नामान्तरण कर दिया है, जिसके कारण अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 29–9–11 से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी बेआधार होना पाई गई है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य